तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 08/2024 भगवानी बनाम रामस्वरूप वगै0 अपील अ. धा. 75 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि भूमि हाल खसरा नं. 124, 1428/626 व 1448/887 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर का पूर्व में खातेदार काश्तकार जोधाराम पुत्र खम्माराम रहा। जोधाराम के कुल 9 संताने पैदा हुई जिसमें 3 पुत्र सतान एवं 6 पुत्रीयां क्रमशः स्वः मरवण, भगवानी, भतेरी, सतोष, मुन्नी व बबीता है। मरवण का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान अपीलान्ट सं. 6 लगायत 8 है। जोधाराम का देहान्त दिनांक 19.10.2001 को होने के पश्चात विरासतन नामान्तकरण स. 346 दिनाक 28.12.2001 को भरा गया उसमें उनके विधिक वारिसान अपीलान्टस का नाम भी दर्ज करना चाहिये था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 एंव रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के पति/पिता स्व. महेन्द्र सिंह एंव रेस्पोडेन्ट सं. 6 राजेश कुमार ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत हासंलसर, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुन्झुनू द्वारा भरे गये नामान्तकरण स. 346 दिनांक 28.12.2001 को खारिज किया जाकर विधिवारिसान के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक किया जाये। जबाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों तथा राजस्व रिकॉर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत हांसलसर द्वारा विधिवारिसान की जांच कर सही नामान्तकरण तस्दीक नहीं करना जाहिर है तथा ग्राम पंचायत का नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 28.12.2001 विधिस्समत प्रतीत नहीं होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील पक्षकारान अपील अपीलांट को न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :– –: आदेश :– अपील अपीलांट को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम हांसलसर पटवार हल्का हांसलसर तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 124, 1428/626 व 1448/887 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर में ग्राम पंचायत ,हांसलसर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 346 दिनांक 28.12.2001 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वर्णित खसरा नम्बरान में विधिवारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को खुले इजलास सुनाया गया। 24/12/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner